राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3325/2025

रोहिताश कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. प्रधानाचार्य, देवनारायण राजकीय बालिका आवासिय विद्यालय, पिपलोद, ब्लॉक शाहपुरा, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.07.2025
आदेश की दिनांक : 25.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता भौतिक विज्ञान के पद पर देवनारायण राजकीय बालिका आवासिय विद्यालय, पिपलोद, ब्लॉक शाहपुरा, जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। अपीलार्थी का पदस्थापन आदेश दिनांक 09.05.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर व्याख्याता भौतिक विज्ञान के पद पर देवनारायण राजकीय बालिका आवासिय विद्यालय, पिपलोद, ब्लॉक शाहपुरा, जयपुर पदस्थापित किया गया था। अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति एक वर्ष के लिए की गई थी। परन्तु वर्तमान में अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति को तीन वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति अभी तक समाप्त नहीं की गई है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर मूल विभाग में भेजने के लिए एक अभ्यावेदन दिनांक 19.03.2025 (अनुलग्नक–4) निदेशक (राईस), जयपुर को प्रस्तुत किया परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति भी नहीं बढ़ायी गई है, फिर भी अपीलार्थी को 3 वर्ष से अधिक प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है, जो अनुचित एवं विधि–विरूद्ध

है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त किया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावें। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष